भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 917
दिनांक 24 जुलाई, 2025

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों का आवंटन

917. श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों का कोटा या अनुज्ञप्ति वितरण बंद कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे पुनः शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) पिछले ग्यारह वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उनके उत्थान के लिए दिये गए आवंटित पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रूप से आजमगढ़, मऊ, बलिया और जौनपुर जिलों में उक्त कोटे के तहत ऐसे मामलों का संज्ञान लिया है, जहाँ पेट्रोल पंपों को बड़े व्यापारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था और असली मालिक 15000 रुपये से 20000 रुपये के वेतन पर कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे/रहे हैं और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) दिनांक 01.04.2002 से प्रभावी प्रशासनिक मूल्य-निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) को समाप्त किए जाने के पश्चात्, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी सहित सभी श्रेणियों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरों तथा एलपीजी वितरकों का चयन स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) के लिए निवर्तमान डीलरशिप चयन दिशानिर्देश, 2023 और एलपीजी डीलरशिप्स के लिए निवर्तमान एकीकृत डीलरशिप चयन दिशानिर्देश के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैण्ड और मिजोरम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित स्थलों में 22.5% का आरक्षण है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैण्ड और मिजोरम राज्यों में आरओ डीलरों के लिए विज्ञापित स्थलों में क्रमशः 70, 80, 80, 90 प्रतिशत एवं एलपीजी वितरकों के लिए क्रमशः 49, 56, 56 और 63 प्रतिशत का अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षण है। देश में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आवंटन के लिए विस्तृत मानक/प्रक्रिया/आरक्षण सम्बन्धी विवरण www.petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023 पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश का विवरण www.lpgvitrakchayan.in पर उपलब्ध है।

(ग) पिछले 11 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी को आवंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नानुसार है –

पीएसयू ओएमसी	आरओ डीलरशिप		एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ओएमसी	2447	63	420	5

(घ) चयन के पश्चात्, पीएसयू ओएमसीज डीलर के साथ डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार का कार्यान्वयन किया जाता है। डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार डीलर आरओ/एलपीजी डीलरशिप पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बाध्य है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का उल्लंघन डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, जिससे डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, बेनामी प्रचालनों के सम्बन्ध में डीलरों/वितरकों के प्रत्यय पत्रों का सत्यापन पीएसयू ओएमसीज द्वारा नियमित आधार पर किया जाता है। बेनामी प्रचालनों के स्थापित मामलों पर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पीएसयू ओएमसीज के निवर्तमान पुनर्गठित दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित आरओज में गैर अनुसूचित जाति/ गैर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के साझीदार, जिसका मात्र 25% तक का उच्चतम शेयर हो ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डीलर के पास शेष नियंत्रणकारी अधिकार रहे, को तीन वर्ष के बाद शामिल करके पुनर्गठित किया जा सकता है।

*****